



वित्त वर्ष 2026-27 वाहन स्टैण्ड वसूली शुल्क

-:निर्धारित दर:-

1. वाहन स्टैण्ड फीस-

(1) बस हेतु	50 रुपये प्रति बस प्रतिदिन
(2) आटो, टैक्सी हेतु	10 रुपये प्रति टैक्सी प्रतिदिन
(3) ट्रैक्टर/मिनी ट्रक/पिकअप (लोडिंग/अनलोडिंग निकाय क्षेत्रान्तर्गत)	50 रुपये प्रतिदिन
(4) 10 टायर माल वाहक ट्रक (लोडिंग/अनलोडिंग निकाय क्षेत्रान्तर्गत)	100 रुपये प्रतिदिन
(5) 12 टायर माल वाहक ट्रक (लोडिंग/अनलोडिंग निकाय क्षेत्रान्तर्गत)	100 रुपये प्रतिदिन
(6) 14 टायर माल वाहक ट्रक (लोडिंग/अनलोडिंग निकाय क्षेत्रान्तर्गत)	150 रुपये प्रतिदिन
(7) 16 टायर माल वाहक ट्रक (लोडिंग/अनलोडिंग निकाय क्षेत्रान्तर्गत)	200 रुपये प्रतिदिन

अध्यक्ष

नगर परिषद बरगवाँ
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बरगवाँ
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

कार्यालय, नगर परिषद बरगवाँ, जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

Office of Nagar Parishad Bargawan Distt-Singrauli (M.P.)


e-mail- cmobargawansingrauli@mpurban.gov.in

// परिषद बैठक दिनांक 09.12.2025 //

प्रस्ताव क्र. 18	परिषद निर्णय संकल्प क्र. 16 दिनांक 09.12.2025			
निकाय में होने वाले लोडिंग और अनलोडिंग की दर स्वीकृति के संबंध में विचार।	<p>प्रकरण प्रस्तुत हुआ अवलोकन किया गया की परिषद पदाधिकारियों के द्वारा नव गठित निकाय होने से संस्था की माप को दृष्टिगत रखते हुए। अन्य निकायों की भाँति बस स्टैण्ड शुल्क फीस अस्थाई दखल की वसूली किये जाने का नगर पालिका अधिनियम में प्रावधानित है, परिषद को अधिकारीता होने से एवं शासन के मंशा होने से निकाय क्षेत्र के अंतर्गत संस्था के आय को बढ़ाने के लिए टैक्सो का निर्धारण परिषद के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है, इसलिए परिषद द्वारा बस स्टैण्ड फीस एवं नगरीय सीमा क्षेत्र निकाय की सम्पत्ति है जिस पर से वाहनो का अदान-प्रदान एवं प्रतिदिन खडे होकर अधिक्रमित करना अस्थाई दखलो की श्रेणी में आता है। इसलिये नगर के अंदर बस स्टैण्ड पर वाहनो/बसो का आना जाना रहता है। जिसकी साफ-सफाई एवं प्रकाश की व्यवस्था निकाय करती है। इसलिए उक्त व्यवस्थायो बतौर स्थानो पर नियमानुसार टैक्स का निर्धारण किया जाता है।</p>			
क्र.	जोन क्र./स्थान			
1	वार्ड क्र. 01 धौंडर सीमा से लेकर हिंडालको गेट नं. 01 से होते हुए गोरबी पुल तक	वार्ड क्र. 03 गोरबी पुल से लेकर वार्ड क्र. 09,10 एवं 4,5,6,7 एवं 13,14,15 में लगे हुए सम्पूर्ण मार्केट क्षेत्र एवं मुख्य मार्ग में	वार्ड क्र. 03 गोरबी पुल से लेकर कनई चौराहा होते हुए नगर परिषद की अंतिम सीमा स्वागत गेट तक	वार्ड क्र. 08 अंतिम स्वागत गेट से लेकर मुख्य मार्ग मार्केट बाजार होते हुए जैन चौराहा हिण्डालको गेट नं. 01 तक
<p>प्रतिदिन लोडिंग और अनलोडिंग (दर सूचि):-</p> <p>1 ट्रक वाहन- मिनि ट्रक/ट्रैक्टर/पिकअप 50 रु, 10 टायर माल वाहक ट्रक 100 रु., 12 टायर माल वाहक ट्रक 100 रु., 14 टायर माल वाहक ट्रक 150 रु., 16 टायर माल वाहक ट्रक 200 रु.।</p> <p>2 बस- 50 रु. प्रतिदिन</p> <p>3 ऑटो रिक्सा- 10 रु प्रतिदिन</p>				
<p>पत्रक में उल्लेखित उपरोक्त दरों का निर्धारण परिषद के सर्वसम्मति से अनुमोदीत किया जाता है तथा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता है एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अधिकृत किया जाता है।</p>				

सही
हस्ता.
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बरगवाँ
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

सही
हस्ता.
अध्यक्ष
नगर परिषद बरगवाँ
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)


सत्य प्रतिक्रिया
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बरगवाँ
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)



कार्यालय, नगर परिषद बरगवाँ, जिला-सिंगरौली (म.प्र.)



Office of Nagar Parishad Bargawan Distt-Singrauli (M.P.)

e-mail- cmobargawansingrauli@mpurban.gov.in

क्र./2419/न.प./राजस्व/2026

बरगवाँ,दिनांक:- 07/05/2026

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्म/अन्य से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण <https://www.mptenders.gov.in/> पर देखा जा सकता है:-

क्र.	ऑनलाइन निविदा क्र. जारी दिनांक	कार्य का नाम	1. कार्य की समयावधि 2. कार्य की लागत	1. निविदा प्रपत्र का मूल्य 2. अमानत राशि	निविदा की अंतिम तिथि
1..	2026_UAD_50 4746-1	वाहन स्टैंड शुल्क वसूली का कार्य वित्तीय वर्ष	13.03.2027 लागत राशि 14.25 लाख	2000.00 71250.00	08.06.2026

नोट:-कार्यालय द्वारा उपरोक्त निविदाओं में किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन केवल बेवसाइट <https://www.mptenders.gov.in/> में किया जावेगा इस हेतु पृथक से समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी नहीं की जावेगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बरगवाँ
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)
बरगवाँ,दिनांक:-

पृ.क्र./2420/न.प./राजस्व/2026
प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास रीवा संभाग रीवा म.प्र.।
2. परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण सिंगरौली जिला-सिंगरौली म.प्र.।
3. अध्यक्ष नगर परिषद बरगवाँ की ओर सूचनार्थ।
4. नगर परिषद बरगवाँ के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
5. सहगोचर स्थलों में चस्पा हेतु।
6. दैनिक समाचार पत्र नव स्वदेशकी ओर एक दिवस समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु। जिसका भुगतान रुपये जी.एस.टी. सहित देय होगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बरगवाँ
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)